



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक 9116 / अका./सम्बद्धता/2013

रायपुर, दिनांक : 01 / 01 / 2013

|| आदेश ||

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 13.12.2012 की अनुशंसा का अनुमोदन कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 14.12.2012 के निर्णयानुसार घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	B.Com.-III Year Computer Application	30	2012-13

शर्तें :-

1. शिक्षक/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे ।
2. पर्याप्त संख्या में परिनियम 28 के तहत प्राचार्य, शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की नियुक्ति शीघ्र करें।
3. ग्रंथालय में पर्याप्त संख्या में संबंधित विषय की पुस्तकें क्रय की जाए।
4. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति महाविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्ण तक करेंगे।

टीप : परिनियम 28 के अंतर्गत शिक्षक की नियुक्ति नहीं किये हैं, नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करें अन्यथा सत्र 2013-14 में बी.काम. प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबंधित किया जावेगा।

आदेशानुसार,

प्रभारी अधिकारी (अका.)

पू. क्रमांक : 9117 / अका./सम्बद्धता/2013
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 01 / 01 / 2013

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
2. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
3. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
4. संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला, ✓
5. स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
6. ✓ अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
7. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

कक्ष अधिकारी (अका.)